1

पशुपालन निदेशालय, बिहार

बिहार सरकार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 10 नि0 (यो0) 05/2016...7341(नि0) दिनांक- 26/12/2017

''आदेश''

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या– 6 एस0एस0 (6) 40/2014–3111, दिनांक–20.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शुद्धि पत्र ज्ञापांक–10 नि0 (यो0)03/2017–4173 (नि0), दिनांक–11.12.2017 के क्रम में पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–10 नि0 (यो0) 03/2017–7175 (नि0), दिनांक–12.12.2017 को निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में ''समेकित मुर्गी विकास योजना'' के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म (1,000, 5,000 एवं 10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता वाले) की स्थापना लागत पर अनुदान की योजना हेतु लाभुकों के प्रारंभिक चयन (Screening) हेतु संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय, बिहार की अध्यक्षता में निम्नांकित रूप से **चार–सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति** का गठन किया जाता है:–

(i)	संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय	अध्यक्ष
(ii)	महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना	सदस्य
(iii)	प्रभारी पदाधिकारी (योजना), पशुपालन निदेशालय	सदस्य
(iv)	डॉ0 ज्ञानवेन्द्र कुमार वर्मा, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी (प्रतिनियुक्त–योजना प्रशाखा, पशुपालन निदेशालय)	सदस्य

2– योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु डॉ0 ज्ञानवेन्द्र कुमार वर्मा, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी (प्रतिनियुक्त–योजना प्रशाखा, पशुपालन निदेशालय) को Admin, Online Application System के रूप में नामित किया जाता है।

3– उक्त समिति द्वारा लाभुकों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न अभिलेखो की जाँच कर जाँच के क्रम में योग्य/अयोग्य पाये गये सभी आवेदकों को एस0एम0एस (Mobile SMS) के द्वारा सूचित किया जायेगा। अयोग्य पाये गये आवेदकों के द्वारा यदि कोई आपत्ति (अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर) की जाती है, तो उन आपत्तियों के निस्तारण हेतु पुनः स्क्रीनिंग समिति द्वारा एक बैठक की जायेगी, जिसमें आपत्ति किये गये अयोग्य आवेदक भी उपस्थित रहेंगे। बैठक की तिथि की सूचना सभी अयोग्य पाये गये आवेदकों को एस0एम0एस (Mobile SMS) के माध्यम से दी जायेगी। सभी आपत्तियों को निस्तार करने के उपरान्त सभी योग्य आवेदकों की जिलावार सूची तैयार की जायेगी तथा आपत्ति किये गये आवेदकों को इसकी सूचना एस0एम0एस (Mobile SMS) के माध्यम से दी जायेगी। इसके उपरान्त स्क्रीनिंग समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित कुल लक्ष्य (कोटिवार) से पाँच गुणा अधिक संख्या में योग्य आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी। उक्त सूची में से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित कुल लक्ष्य (कोटिवार) से प्रथम चरण में तीन गुणा अधिक संख्या में एवं द्वितीय चरण में शेष योग्य आवेदकों के आवेदन पत्र को संबंधित जिला स्तरीय त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति के स्तर से स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। त्रि–सदस्यीय स्थल

निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदकों की निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा वरीयता सूची (कोटिवार) तैयार की जाएगी तथा लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों के अंतिम रूप से चयन (कोटिवार) करने हेतु अनुशंसा की जाएगी।

(राधेश्याम साह)
निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (यो0) 05/2016 7341 (नि0) दिनांक– 26 / 12 /2017

प्रतिलिपिः– समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (यो0) 05/2016 7341 (नि0) दिनांक– 26 / 12 /2017

प्रतिलिपिः– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (यो0) 05/2016 7341 (नि0) दिनांक– 26 / 12 /2017

प्रतिलिपिः– पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (यो0) 05/2016 7341 (नि0) दिनांक– 26 / 12 /2017

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (यो0) 05/2016 7341 (नि0) दिनांक– 26 / 12 /2017

प्रतिलिपिः– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।